

Order Sheet [Contd]

Case No 289/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
16-08-2017	<p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरोपी रहमान शाह उपजेल गोहद से पेश। प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. यादव द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 वास्ते नियमित जमानत पेश किया। नकल ए.जी.पी. को दिलाई गई।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 नियमित जमानत हेतु प्रथम आवेदनपत्र होना व्यक्त करते हुए निवेदन किया है कि आवेदक को तथाकथित झूठे अपराध में फसा दिया गया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा फरियादिया/अभियोक्त्री द्वारा आवेदक के विरुद्ध अपने पुलिस व धारा 164 जा.फौ. के कथनों में उसे बहलाफुसलाकर ले जाने एवं बलात्कार करने संबंधी कथन नहीं किए हैं। आवेदक दिनांक 30.04.2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक कस्बा मौ का स्थाई निवासी है उसके फरार होने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि अभियोक्त्री वयस्क है और वह अपनी स्वयं की सहमति से अपने परिवार से परेशान होकर घर से चली गई थी और आरोपी के साथ विवाह कर लिया है, जबकि अभियोक्त्री के परिवार वालों ने आवेदक के विरुद्ध यह मिथ्या प्रकरण दर्ज कराया गया है, जबकि फरियादिया ने स्वयं पुलिस अधीक्षक भिण्ड के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी से सहमति से विवाह करने संबंधी जानकारी दी थी।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर अवयस्क अभियोक्त्री को बहलाफुसलाकर ले जाने का आरोप है। धारा 161 जा.फौ. के अंतर्गत अभिलिखित कथन में अभियोक्त्री महशर वानो उर्फ जाहिरा वानो ने इस आशय के कथन किए हैं कि उसकी आवेदक से दोस्ती हो गई थी और उसने अपनी माँ से कहा था कि वह आवेदक से विवाह करेगी, किन्तु उसकी माँ ने आवेदक से विवाह नहीं होने दिया। अभियोक्त्री के धारा 164 जा.फौ. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में इस आशय के कथन किए हैं कि उसकी माँ और मामू आवेदक से उसका विवाह नहीं होने देना चाहते थे और उसे घर में बंद कर दिया, इसी कारण वह स्वयं बस में बैठकर ग्वालियर चली गई थी और वहाँ आवेदक को बुला लिया था और फिर पूना में जाकर शादी की थी और अभियुक्त ने शादी करने के बाद ही उसकी मर्जी से संभोग किया है। पुलिस थाना माँ की ओर से महशर वानो की आयु संबंधी एक्सरे</p>	

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अभियोक्त्री महशर वानो को 18 वर्ष से 19 वर्ष के बीच का होना दर्शाया गया है।

अतः प्रकरण में अभियोक्त्री के धारा 161, 164 सी.आर.पी.सी के कथन एवं प्रस्तुत आयु संबंधी रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि यदि उसकी ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 30,000/- (तीस हजार रुपए) रुपए की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश हो तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे।

प्रकरण आरोप पर तर्क हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
ए0एस0जे0 गोहद

पुनश्चयः—

पक्षकार पूर्वानुसार।

प्रकरण में उभय पक्ष के आरोप के संबंध में तर्क श्रवण किए गए।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रकरण में पर्याप्त आधार होने से उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया, जो कि आरोपी को पढ़कर सुनाया समझाया गया तो उसके द्वारा अपराध अस्वीकार किया तथा धारा 294 दं.प्र.सं. के तहत अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चालान के सम्पूर्ण दस्तावेजों को अस्वीकार कर विचारण की मांग की। इस संबंध में आरोपी का प्रथक से अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

राज्य की ओर से ट्रायल प्रोग्राम पेश करने हेतु समय चाहा दिया गया।

प्रकरण अभियोजन की ओर से ट्रायल प्रोग्राम पेश हेतु दिनांक 22.08.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
ए.एस.जे. गोहद